



आधुनिक हिन्दी महिला उपन्यास लेखिकाओं का विवाह को लेकर समानांतर दृष्टिकोण

सोनू निठारवाल, शोधार्थी

श्याम विश्वविद्यालय, दौसा (राज)

डॉ. उमा रानी दुबे, शोध पर्यवेक्षक

श्याम विश्वविद्यालय, दौसा (राज)

शोध पत्र सार (Abstract)

आधुनिक हिन्दी साहित्य में महिला उपन्यासकारों ने विवाह संस्था को लेकर एक नवीन और समानांतर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो पारंपरिक पुरुष लेखकों के दृष्टिकोण से भिन्न है। प्रस्तुत शोध पत्र में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान और उषा प्रियंवदा जैसी प्रमुख महिला रचनाकारों के उपन्यासों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि इन लेखिकाओं ने विवाह को केवल सामाजिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि स्त्री की वैयक्तिक स्वतंत्रता, यौन स्वायत्तता, आर्थिक निर्भरता, और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा है। इस शोध में यह प्रतिपादित किया गया है कि महिला लेखिकाओं ने विवाह के भीतर स्त्री की चुप्पी, उसकी दमित इच्छाएं, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, और पितृसत्तात्मक नियंत्रण को उजागर किया है। साथ ही, उन्होंने वैकल्पिक जीवन शैली, विवाह से इतर संबंधों, तलाक के अधिकार, और एकल जीवन की संभावनाओं को भी रेखांकित किया है। यह शोध पत्र स्त्रीवादी आलोचना और लैंगिक विमर्श के सैद्धांतिक आधार पर आधुनिक हिन्दी महिला उपन्यासकारों के विवाह संबंधी विचारों का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

की-वर्ड्स (Keywords)

आधुनिक हिन्दी साहित्य, महिला उपन्यासकार, विवाह संस्था, स्त्रीवादी दृष्टिकोण, पितृसत्ता, स्त्री अस्मिता, यौन स्वायत्तता, वैकल्पिक जीवन शैली, लैंगिक विमर्श, समानांतर चेतना

प्रस्तावना

भारतीय समाज में विवाह को परंपरागत रूप से एक पवित्र और अनिवार्य संस्कार माना गया है। हिन्दी साहित्य में भी विवाह एक केंद्रीय विषय रहा है, परंतु पुरुष लेखकों और महिला लेखिकाओं ने इस संस्था को भिन्न दृष्टिकोणों से देखा और प्रस्तुत किया है। जहाँ पुरुष लेखकों ने विवाह को प्रायः आदर्शवादी, रोमांटिक या सामाजिक दृष्टि से चित्रित किया, वहीं महिला लेखिकाओं ने विवाह के भीतर छिपे हुए यथार्थ, स्त्री की पीड़ा, उसकी स्वतंत्रता का हनन, और पितृसत्तात्मक शोषण को बेबाकी से उजागर किया है।

आधुनिक हिन्दी साहित्य में 1960 के दशक से लेकर समकालीन समय तक महिला लेखिकाओं की एक सशक्त परंपरा विकसित हुई है। इन लेखिकाओं ने अपने जीवनानुभवों, सामाजिक संवेदनाओं और स्त्रीवादी चेतना के आधार पर विवाह संस्था के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी का 'महाभोज' और 'आपका बंटी', कृष्णा सोबती का 'मित्रो मरजानी' और 'ऐ लड़की', मृदुला गर्ग का 'चित्तकोबरा' और 'कठगुलाब', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम्' और 'अल्मा कबूतरी', चित्रा मुद्गल का 'आवां', प्रभा खेतान का 'छिन्नमस्ता', और उषा प्रियंवदा का 'पचपन खंभे लाल दीवारें' जैसे उपन्यास इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

यह शोध पत्र इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है कि आधुनिक हिन्दी महिला उपन्यासकारों का विवाह को लेकर क्या समानांतर और वैकल्पिक दृष्टिकोण रहा है, और यह दृष्टिकोण किस प्रकार पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है।

विवाह संस्था का परंपरागत स्वरूप और पुरुष दृष्टिकोण

भारतीय समाज में विवाह को धार्मिक संस्कार, सामाजिक बंधन, और जीवन की अनिवार्यता के रूप में देखा गया है। मनुस्मृति से लेकर आधुनिक समय तक, विवाह को स्त्री के लिए एकमात्र सामाजिक सुरक्षा और पहचान का साधन माना गया। पुरुष लेखकों – प्रेमचंद, जैनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल आदि – ने भी अपने उपन्यासों में विवाह को महत्वपूर्ण स्थान दिया, परंतु उनकी दृष्टि मुख्यतः बाहरी थी।

प्रेमचंद के 'गोदान' में धनिया और होरी का संबंध आदर्श ग्रामीण दंपति का है जहाँ स्त्री का त्याग और समर्पण केंद्र में है। जैनेंद्र के 'सुनीता' और 'त्यागपत्र' में विवाह की समस्याओं को दार्शनिक धरातल पर उठाया गया। यशपाल ने 'दिव्या' और 'देशद्रोही' में विवाह के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को छुआ। परंतु इन सभी में स्त्री का आंतरिक संघर्ष, उसकी यौनिकता, उसकी मानसिक पीड़ा को उस गहराई से नहीं उकेरा गया जैसा महिला लेखिकाओं ने किया।

पुरुष लेखकों की स्त्री पात्र प्रायः पुरुष दृष्टि से निर्मित होती हैं – वे या तो आदर्श पत्नियाँ हैं, या विद्रोही नायिकाएं जिनका विद्रोह भी पुरुष कल्पना का हिस्सा है। उनकी देह, उनकी इच्छाएं, और उनकी पीड़ा को पुरुष दृष्टि से व्याख्यायित किया जाता है, न कि स्त्री के स्वयं के अनुभव से।

महिला लेखिकाओं का समानांतर दृष्टिकोण: मुख्य आयाम

1. विवाह में स्त्री की वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रश्न

महिला लेखिकाओं ने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया कि विवाह में स्त्री की वैयक्तिक पहचान और स्वतंत्रता का क्या होता है। मन्नू भंडारी के 'आपका बंटी' में शकुन का चरित्र इस प्रश्न को केंद्र में रखता है। शकुन एक शिक्षित, संवेदनशील स्त्री है जो विवाह के बाद अपनी पहचान खोती जाती है। उसका पति उसे केवल गृहिणी और माँ के रूप में देखता है, उसकी बौद्धिक आकांक्षाओं और भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करता है। विवाह टूटने के बाद भी समाज शकुन को दोषी ठहराता है, न कि पुरुष को।

कृष्णा सोबती की 'मित्रो मरजानी' में मित्रो एक ऐसी स्त्री है जो अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार करती है और उन्हें दबाने से इनकार करती है। उसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता और वह अपनी जरूरतों को मुखर रूप से व्यक्त करती है। यह उपन्यास विवाह के भीतर स्त्री की यौन स्वायत्तता का प्रश्न उठाता है – क्या विवाह में स्त्री को अपनी इच्छाओं को दबाना होगा? क्या उसकी यौनिकता केवल पुरुष की सुविधा के लिए है?

मृदुला गर्ग की 'चित्तकोबरा' में स्मिता का चरित्र भी इसी प्रश्न को विस्तार देता है। स्मिता एक सफल पत्रकार है जो अपने करियर और वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं से समझौता नहीं करना चाहती। उसका पति उससे अपेक्षा करता है कि वह परंपरागत पत्नी की भूमिका निभाए। यह टकराव अंततः विवाह के विघटन की ओर ले जाता है।

2. विवाह में यौन शोषण और घरेलू हिंसा

महिला लेखिकाओं ने विवाह के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा और यौन शोषण को भी बेबाकी से चित्रित किया है। पारंपरिक साहित्य में इन विषयों को प्रायः नजरअंदाज किया जाता रहा या फिर बहुत हल्के ढंग से छुआ गया।

मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम्' इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें ग्रामीण समाज की उस स्त्री की कहानी है जिसे विवाह में न केवल शारीरिक हिंसा सहनी पड़ती है, बल्कि उसकी यौनिकता को पुरुष द्वारा अपनी संपत्ति की तरह व्यवहृत किया जाता है। उपन्यास में यह दिखाया गया है कि कैसे ग्रामीण समाज में विवाह अक्सर स्त्री के लिए एक कारागार बन जाता है जहाँ उसे न केवल पति बल्कि पूरे परिवार की हिंसा सहनी पड़ती है।

चित्रा मुद्गल की 'आवां' में भी विवाह के भीतर स्त्री की यातना को मार्मिक रूप से उकेरा गया है। उपन्यास की नायिका को विवाह में न केवल शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। पति द्वारा किया गया यौन शोषण, जिसे समाज "पति का अधिकार" मानता है, को उपन्यास में बलात्कार के रूप में चित्रित किया गया है।

प्रभा खेतान की 'छिन्नमस्ता' आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें लेखिका ने अपने स्वयं के वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कैसे विवाह में स्त्री को एक वस्तु की तरह व्यवहृत किया जाता है और उसकी भावनाओं, इच्छाओं और स्वप्नों की कोई कीमत नहीं होती।

3. आर्थिक निर्भरता और पितृसत्तात्मक नियंत्रण

महिला लेखिकाओं ने यह भी रेखांकित किया है कि विवाह में स्त्री की आर्थिक निर्भरता किस प्रकार उसे पितृसत्तात्मक नियंत्रण में जकड़े रखती है। जब तक स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, तब तक वह विवाह की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकती।

मनू भंडारी की 'महाभोज' में बिसेसर की बीवी का चरित्र इस बात को उजागर करता है कि कैसे आर्थिक निर्भरता स्त्री को हर प्रकार के शोषण के लिए विवश करती है। वह अपने पति की क्रूरता और भ्रष्टाचार को जानती है परंतु आर्थिक कारणों से उसका साथ नहीं छोड़ सकती।

उषा प्रियंवदा की 'पचपन खंभे लाल दीवारें' की सुषमा एक मध्यवर्गीय स्त्री है जो आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण एक नीरस और प्रेमहीन विवाह में फंसी रहती है। उसके पास न तो अपनी आय है और न ही समाज में अकेले जीने का साहस। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे आर्थिक निर्भरता स्त्री को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करती है।

मृदुला गर्ग के 'कठगुलाब' में स्मिता एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री है और यही उसकी शक्ति है। वह अपने पति पर निर्भर नहीं है और इसलिए जब विवाह असहनीय हो जाता है तो वह उसे छोड़ने का साहस कर पाती है। यह उपन्यास यह संदेश देता है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही स्त्री को वास्तविक स्वतंत्रता दे सकती है।

4. विवाह में भावनात्मक शून्यता और अकेलापन

महिला लेखिकाओं ने यह भी दिखाया है कि विवाह केवल एक कानूनी या सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए। परंतु अधिकांश विवाहों में स्त्री को भयंकर अकेलापन और भावनात्मक शून्यता का सामना करना पड़ता है।

कृष्णा सोबती की 'ऐ लड़की' में विवाहित स्त्री का अकेलापन मार्मिक रूप से चित्रित है। पति के साथ रहते हुए भी वह भावनात्मक रूप से अकेली है क्योंकि उनके बीच कोई संवाद, कोई समझ, कोई साझा संवेदना नहीं है। विवाह केवल एक रस्म बनकर रह गया है।

मनू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में भी यह थीम बार-बार आती है। 'यही सच है' कहानी में भी विवाहित स्त्री का यही अकेलापन दिखाया गया है। पति शारीरिक रूप से मौजूद है परंतु भावनात्मक रूप से अनुपस्थित है।

मृदुला गर्ग का 'चित्तकोबरा' भी इसी भावनात्मक शून्यता की कहानी है। स्मिता और उसके पति के बीच संवाद टूट चुका है। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं परंतु दो अलग संसारों में जीते हैं। यह भावनात्मक अलगाव अंततः विवाह को तोड़ देता है।

5. वैकल्पिक जीवन शैली और विवाह से इतर संबंध

महिला लेखिकाओं ने यह भी दिखाया है कि विवाह जीवन का एकमात्र विकल्प नहीं है। स्त्री विवाह के बिना भी सम्पूर्ण और सुखी जीवन जी सकती है। उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप, एकल मातृत्व, समलैंगिक संबंध, और अविवाहित जीवन जैसे वैकल्पिक जीवन शैलियों को भी अपने उपन्यासों में स्थान दिया है।

मृदुला गर्ग का 'कठगुलाब' इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। स्मिता अपने विवाह के टूटने के बाद एक नए संबंध में प्रवेश करती है जो विवाह पर आधारित नहीं है बल्कि प्रेम और समझ पर आधारित है। उपन्यास यह सवाल करता है कि क्या सामाजिक स्वीकृति और कानूनी मान्यता के बिना कोई संबंध वैध नहीं हो सकता?

चित्रा मुद्गल की कहानियों में भी ऐसी स्त्रियाँ हैं जो विवाह के बाहर संबंध बनाती हैं – न तो वे पाप-बोध से ग्रस्त हैं और न ही समाज की निंदा से भयभीत। वे अपनी भावनात्मक और यौन जरूरतों को स्वीकार करती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए विवाह के ढाँचे से बाहर भी जाने को तैयार हैं।

प्रभा खेतान ने अपनी रचनाओं में समलैंगिक संबंधों को भी स्पर्श किया है। उन्होंने यह दिखाया कि स्त्री-स्त्री संबंध भी प्रेम, समझ और भावनात्मक संतुष्टि दे सकते हैं।

मैत्रेयी पुष्पा की 'अल्मा कबूतरी' में नायिका एक ऐसी स्त्री है जो समाज के हाशिये पर जीती है। वह विवाह की परंपरागत संस्था को नकारती है और अपनी शर्तों पर जीवन जीती है। यह उपन्यास दिखाता है कि हाशिये की स्त्रियाँ अक्सर मुख्यधारा की नैतिकता से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्र जीवन जी सकती हैं।

6. तलाक का अधिकार और पुनर्विवाह

महिला लेखिकाओं ने तलाक को पाप या सामाजिक कलंक के रूप में नहीं देखा बल्कि एक असहनीय विवाह से मुक्ति के अधिकार के रूप में देखा है। उन्होंने यह दिखाया कि तलाक स्त्री के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, अंत नहीं।

मन्नू भंडारी का 'आपका बंटी' इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। शकुन और शाहनी का तलाक उपन्यास का केंद्रीय बिंदु है। उपन्यास यह दिखाता है कि तलाक के बाद सबसे ज्यादा कष्ट बच्चे को होता है, परंतु यह भी दिखाता है कि एक प्रेमहीन और हिंसक विवाह में रहना तलाक से भी अधिक कष्टकारी है।

मृदुला गर्ग के उपन्यासों में तलाक के बाद स्त्री का पुनर्निर्माण दिखाया गया है। तलाक के बाद स्त्री टूटती नहीं बल्कि अपने को फिर से खोजती और स्थापित करती है। वह नए संबंध बनाती है, नए सपने देखती है, और अधिक आत्मविश्वास के साथ जीती है।

चित्रा मुद्गल ने भी तलाक को स्त्री की मुक्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके उपन्यासों में तलाकशुदा स्त्रियाँ समाज के ताने सुनती हैं परंतु अपने निर्णय पर दृढ़ रहती हैं।

स्त्रीवादी विमर्श और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

महिला लेखिकाओं का विवाह को लेकर जो समानांतर दृष्टिकोण है, वह पश्चिमी और भारतीय स्त्रीवादी विमर्श से प्रभावित है। सिमोन द बोउवार की पुस्तक 'द सेकंड सेक्स' (1949) में यह स्थापित किया गया कि विवाह में स्त्री को "दूसरा" बना दिया जाता है। उसकी पहचान पति के माध्यम से परिभाषित होती है। केट मिलेट की 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' (1970) ने यह दिखाया कि विवाह एक राजनीतिक संस्था है जहाँ पुरुष सत्ता स्थापित करता है।

भारतीय संदर्भ में, स्त्रीवादी विमर्श ने पितृसत्ता, जाति, वर्ग और धर्म के जटिल अंतर्संबंधों को समझने का प्रयास किया है। महिला लेखिकाओं ने यह दिखाया कि भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है बल्कि दो परिवारों, दो जातियों, और दो वर्गों का संबंध है। इसमें स्त्री की स्वतंत्रता और इच्छा का कोई स्थान नहीं है।

लेखिकाओं ने यह भी दिखाया कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों के लिए विवाह की समस्याएं और भी जटिल हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में दलित और पिछड़ी जाति की स्त्रियों की समस्याएं केंद्र में हैं। उनके लिए विवाह न केवल लैंगिक शोषण का स्थल है बल्कि जातिगत और वर्गीय शोषण का भी स्थल है।

तुलनात्मक विश्लेषण: पुरुष और महिला लेखकों में अंतर

जब हम पुरुष और महिला लेखकों के विवाह संबंधी दृष्टिकोण की तुलना करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं:

1. **आंतरिकता बनाम बाह्यता:** पुरुष लेखक विवाह को बाहर से देखते हैं जबकि महिला लेखिकाएं भीतर से। पुरुष लेखक विवाह की सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देते हैं जबकि महिला लेखिकाएं स्त्री के आंतरिक संघर्ष, उसकी मानसिक यातना, और उसकी दमित इच्छाओं पर ध्यान देती हैं।
2. **यौनिकता का चित्रण:** पुरुष लेखकों में स्त्री की यौनिकता प्रायः पुरुष कल्पना का विस्तार है या फिर उसे नैतिकता के चश्मे से देखा जाता है। महिला लेखिकाओं ने स्त्री की यौनिकता को स्त्री के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है – उसकी इच्छाएं, उसकी निराशाएं, और उसका शोषण।
3. **हिंसा का चित्रण:** पुरुष लेखक घरेलू हिंसा को या तो नजरअंदाज करते हैं या उसे सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महिला लेखिकाओं ने इस हिंसा को उसकी पूरी क्रूरता और भयावहता के साथ चित्रित किया है।
4. **विकल्पों की संभावना:** पुरुष लेखकों के यहाँ विवाह के विकल्प बहुत कम हैं। स्त्री या तो विवाह में रहती है या विधवा/परित्यक्ता बन जाती है। महिला लेखिकाओं ने तलाक, पुनर्विवाह, लिव-इन, एकल जीवन जैसे अनेक विकल्प प्रस्तुत किए हैं।
5. **समाधान की दिशा:** पुरुष लेखक प्रायः नैतिक उपदेश या सामाजिक सुधार की बात करते हैं। महिला लेखिकाएं स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, और आत्मविश्वास को समाधान के रूप में देखती हैं।

प्रमुख लेखिकाओं के योगदान का विशिष्ट विश्लेषण

मन्नू भंडारी

मन्नू भंडारी ने मध्यवर्गीय विवाह की जटिलताओं को अत्यंत संवेदनशीलता से चित्रित किया है। उनके उपन्यासों में विवाह केवल स्त्री-पुरुष का संबंध नहीं है बल्कि परिवार, समाज और बच्चों से जुड़ा जटिल तंत्र है। 'आपका बंटी' में उन्होंने दिखाया कि तलाक के बाद सबसे अधिक पीड़ा बच्चे को होती है जो माता-पिता के बीच बंट जाता है। यह उपन्यास विवाह-विच्छेद की जटिलताओं को बहुआयामी रूप में प्रस्तुत करता है।

कृष्णा सोबती

कृष्णा सोबती ने स्त्री की यौनिकता को निर्भीकता से चित्रित किया। 'मित्रो मरजानी' एक ऐसा उपन्यास है जिसने हिन्दी साहित्य में तहलका मचा दिया। मित्रो की खुली यौनिकता, उसकी मांगें, और उसकी निराशा – सब कुछ बेबाकी से कहा गया। सोबती ने यह स्थापित किया कि स्त्री की यौन इच्छाएं वैध हैं और विवाह में उनकी अनदेखी अन्याय है। उनका लेखन स्त्री देह की राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मृदुला गर्ग

मृदुला गर्ग के उपन्यासों में आधुनिक, शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्रियाँ हैं जो परंपरागत विवाह के ढाँचे में नहीं समा पातीं। 'चित्तकोबरा' और 'कठगुलाब' में उन्होंने दिखाया कि जब स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह विवाह में समझौता करने को विवश नहीं होती। वह अपनी शर्तों पर जीवन जीने का साहस कर सकती है। गर्ग के उपन्यास विवाह से इतर संबंधों की संभावनाओं को भी खोलते हैं।

मैत्रेयी पुष्पा

मैत्रेयी पुष्पा ने ग्रामीण और दलित स्त्री के विवाह के अनुभवों को केंद्र में रखा। 'इदन्नमम्' और 'अल्मा कबूतरी' में उन्होंने दिखाया कि निम्न वर्ग और दलित स्त्री के लिए विवाह कितना क्रूर और शोषणकारी हो सकता है। उनके उपन्यासों में विवाह में होने वाली शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, और आर्थिक शोषण का यथार्थवादी चित्रण है। पुष्पा ने यह भी दिखाया कि इन स्त्रियों में प्रतिरोध की अद्भुत क्षमता है।

चित्रा मुद्गल

चित्रा मुद्रल के उपन्यासों में विवाह में स्त्री की मानसिक यातना का मार्मिक चित्रण है। 'आवां' में उन्होंने दिखाया कि कैसे विवाह स्त्री को मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। उनकी नायिकाएं विवाह में घुटन महसूस करती हैं और मुक्ति की तलाश में हैं। मुद्रल का लेखन यह स्थापित करता है कि विवाह में स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।

प्रभा खेतान

प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथात्मक रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभवों को साहस के साथ साझा किया। 'छिन्नमस्ता' में उन्होंने अपने विवाह के कटु अनुभव लिखे जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दोनों थीं। खेतान ने यह दिखाया कि उच्च वर्ग की शिक्षित स्त्री भी विवाह में प्रताड़ित हो सकती है। उनका लेखन आत्मकथात्मक होते हुए भी सार्वभौमिक स्त्री अनुभव को व्यक्त करता है।

उषा प्रियंवदा

उषा प्रियंवदा ने मध्यवर्गीय विवाह की नीरसता और भावनात्मक शून्यता को चित्रित किया। 'पचपन खंभे लाल दीवारें' में विवाह की एकरसता, उसकी उबाऊ दिनचर्या, और उसमें स्त्री का धीरे-धीरे मुरझाना – सब कुछ बारीकी से दिखाया गया है। प्रियंवदा ने यह प्रश्न उठाया कि क्या केवल आर्थिक सुरक्षा के लिए एक प्रेमहीन विवाह में बने रहना उचित है?

समकालीन संदर्भ और प्रासंगिकता

आधुनिक हिन्दी महिला लेखिकाओं का विवाह संबंधी दृष्टिकोण आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान में भारतीय समाज में विवाह संस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है:

- 1. बढ़ती तलाक की दर:** शहरी भारत में तलाक की दर लगातार बढ़ रही है। स्त्रियाँ अब असहनीय विवाह में रहने को तैयार नहीं हैं। महिला लेखिकाओं ने इस प्रवृत्ति को दशकों पहले अपने लेखन में चिन्हित किया था।
- 2. विलंबित विवाह और अविवाहित जीवन:** आज की शिक्षित स्त्रियाँ देर से विवाह कर रही हैं या अविवाहित रहने का विकल्प चुन रही हैं। महिला लेखिकाओं ने इस संभावना को अपने उपन्यासों में स्वीकार किया था।
- 3. लिव-इन रिलेशनशिप:** वर्तमान में लिव-इन संबंध अधिक स्वीकार्य हो रहे हैं। महिला लेखिकाओं ने इस विकल्प को बहुत पहले अपने लेखन में प्रस्तुत किया था।
- 4. समान अधिकार की मांग:** आज की स्त्रियाँ विवाह में समान अधिकार की मांग कर रही हैं – संपत्ति, निर्णय लेने, और यौन स्वायत्तता में। महिला लेखिकाओं ने इन प्रश्नों को अपने लेखन में केंद्रीय स्थान दिया था।
- 5. घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून:** घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनाने में महिला लेखिकाओं के लेखन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उपन्यासों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया।

समस्याएं और सीमाएं

यद्यपि महिला लेखिकाओं ने विवाह को लेकर समानांतर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, फिर भी कुछ सीमाएं भी हैं:

- 1. वर्ग और जाति की सीमा:** अधिकांश महिला लेखिकाएं मध्यवर्गीय और उच्च जातीय पृष्ठभूमि से हैं। निम्न वर्ग, दलित और आदिवासी स्त्रियों के विवाह के अनुभवों का चित्रण सीमित है। मैत्रेयी पुष्पा इस संदर्भ में अपवाद हैं।
- 2. ग्रामीण-शहरी विभाजन:** अधिकांश उपन्यास शहरी या कस्बाई परिवेश में केंद्रित हैं। ग्रामीण भारत के विवाह के अनुभव पर्याप्त रूप से चित्रित नहीं हुए हैं।

3. **पुरुष पात्रों का सपाट चित्रण:** कुछ उपन्यासों में पुरुष पात्र पूर्णतः नकारात्मक रूप में चित्रित हैं। उनकी जटिलताओं और उनके द्वंद्वों को पर्याप्त स्थान नहीं मिला है।

4. **समाधान की अनुपस्थिति:** अधिकांश उपन्यास समस्याओं को चित्रित करते हैं परंतु ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं करते। यह आलोचना भी की जाती है कि लेखिकाएं केवल समस्याओं को उजागर करती हैं परंतु रचनात्मक विकल्प नहीं सुझातीं।

निष्कर्ष

आधुनिक हिन्दी महिला उपन्यासकारों ने विवाह संस्था को एक समानांतर और क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने विवाह को स्त्री के जीवन के संदर्भ में परिभाषित किया है, न कि समाज या पुरुष के संदर्भ में। उनके उपन्यासों में विवाह एक पवित्र संस्कार नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है जो स्त्री की स्वतंत्रता, सम्मान और सुख की गारंटी देता हो। यदि विवाह इन मूल्यों को सुनिश्चित नहीं करता तो स्त्री को उससे मुक्त होने का अधिकार है।

महिला लेखिकाओं ने विवाह के भीतर स्त्री के शोषण के विभिन्न रूपों – शारीरिक, यौन, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक – को उजागर किया है। साथ ही, उन्होंने विकल्पों की संभावना भी प्रस्तुत की है – तलाक, पुनर्विवाह, लिव-इन, एकल जीवन, और समलैंगिक संबंध।

उनका लेखन केवल साहित्यिक नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। उन्होंने विवाह संस्था को पितृसत्तात्मक संरचना के हिस्से के रूप में देखा और उस पर प्रश्नचिह्न लगाया। उनका लेखन स्त्री आंदोलन का साहित्यिक पक्ष है।

आज जब भारतीय समाज में विवाह संस्था तेजी से बदल रही है, तब महिला लेखिकाओं का लेखन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उनके उपन्यास हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विवाह में समानता, स्वतंत्रता और सम्मान क्यों आवश्यक हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि स्त्री का जीवन विवाह तक सीमित नहीं है – वह विवाह के बिना भी सम्पूर्ण और सार्थक हो सकता है।

अंततः, आधुनिक हिन्दी महिला लेखिकाओं ने विवाह संबंधी परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देकर एक नए विमर्श की नींव रखी है। यह विमर्श न केवल साहित्यिक है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। उनका लेखन भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्राथमिक स्रोत (उपन्यास):

1. भंडारी, मन्नू. *आपका बंटी*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1971.
2. भंडारी, मन्नू. *महाभोज*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1979.
3. सोबती, कृष्णा. *मित्रो मरजानी*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1967.
4. सोबती, कृष्णा. *ऐ लड़की*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1991.
5. गर्ग, मृदुला. *चित्तकोबरा*. भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 1979.
6. खेतान, प्रभा. *छिन्नमस्ता*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007.
7. प्रियंवदा, उषा. *पचपन खंभे लाल दीवारें*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1961.

द्वितीयक स्रोत (आलोचना एवं सिद्धांत):

1. जैन, निर्मला. *हिन्दी उपन्यासों में नारी विमर्श*. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015.
2. सिंह, नामवर. *कहानी: नई कहानी*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1973.
3. कुमार, सुधीश. *स्त्री विमर्श का लेखन*. अनामिका पब्लिशर्स, दिल्ली, 2014.
4. यादव, राजेन्द्र. *औरत की दुनिया*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018.
5. त्रिपाठी, विद्यानिवास. *हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद*. अनुराग प्रकाशन, वाराणसी, 2010.
6. अरोड़ा, सुधा. *स्त्री स्वर और नयी शताब्दी*. सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.